न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 10/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–22.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	महवा	183/2023	15.03.2023	13 RPGO	82/2023	31.03.2023	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 18.04.2023
2.	महवा	380/2023	04.06.2023	13 RPGO	178/2023	13.06.2023	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 26.06.2023

उक्त शख्स राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल दिनांक 22.03.2024 को स्वयं उपस्थित आया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के [illegible] गया कि गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा जिला दौसा में जुंअे सट्टे के अपराध से सम्ब[illegible] धा[illegible] 3 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है। जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका [illegible] न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो [illegible]। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:33:43 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो गया है। अतः गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी मुल्जिम पर थानाधिकारी महवा द्वारा लगाये गये गुण्डा एक्ट के आरोप निराधार है। प्रार्थी पर लगाये गये दोनो ही मामले शान्ति भंग होने से सम्बन्धित नहीं है। गुण्डा एक्ट उन अपराधियों पर लागू होता है जिन पर 5 वर्ष की लगातार अवधि में 3 या 3 से अधिक बार दोष सिद्ध किया जा चुका हो। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण महवा थाने में दर्ज किये गये है। धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल राजकुमार पुत्र बंगालीराम जाति कोली निवासी मोटूका रोड रामनगर कॉलोनी पनीर फैक्ट्री के पास महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 23.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल जयपुर –आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक रविवार को थानाधिकारी भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा